फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता अब 10 साल

NBT रिपोर्ट, लखनऊ : प्रदेश में औद्योगिक कार्यों को सरल बनाने के लिए फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता 10 वर्ष तक बढ़ाई जा रही है। वहीं, नियमों का पालन करने वाली इकाइयों के लिए ऑटो-नवीनीकरण की सुविधा भी दी जाएगी। इन उपायों से प्रतिवर्ष 6,700 से अधिक आवेदन और 1,500 रिन्युअल की जरूरत खत्म हो जाएगी, जिससे उद्यमियों को अनावश्यक दौड़ से छुट्टी मिलेगी। पहले वैधता 1 से 5 साल तक थी। गुरुवार को इन्वेस्ट यूपी व उद्योग संघों के बीच समन्वय बैठक में यह जानकारी दी गई।

AI Image

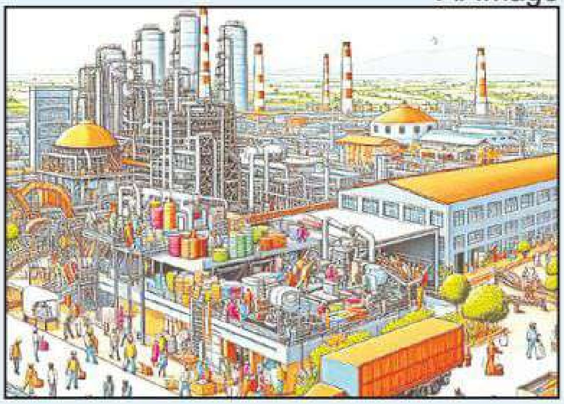

इन्वेस्ट यूपी के समन्वय बैठक में दी गई जानकारी, 1500 से अधिक रिन्युअल की जरूरत खत्म होगी

इन्वेस्ट यूपी के अफसरों ने बताया कि बिजनेस रिफॉर्म्स ऐक्शन प्लान (BRAP) के तहत 45 विभागों में 1,000 से अधिक सुधार, 524 डिजिटाइज्ड सेवाएं, और 200 से अधिक जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सेवाएं उद्यमियों को दी जा रही हैं, जिनकी निगरानी सीधे सीएम कार्यालय से की जा रही है। यूपी ने सेवा समय-सीमा को 80% तक कम किया है, साथ ही विभागों में दस्तावेज की मांग को आधा किया गया है, जिससे निवेश प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल और तेज हो गई है।